कांग्रेस सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भूमि अलॉटमेंट पर विधायक ने रोक लगवाई

कोटा, (निसं)। शहर में अल्पसंख्यक समुदाय को गत सरकार में भूमि अलॉट की गई थी। इसका विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में लोग लाडपुरा विधायक कल्पना देवी के कार्यालय पर पहुंचे। इन लोगों से मुलाकात के बाद विधायक कल्पना देवी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जब जमीन डेढ़ साल पहले अलॉट कांग्रेस के शासन में हुई थी तब एक भी व्यक्ति नहीं आया। जबकि मैं इस इलाके में दो बार दौरा करके आई हूं।

विधायक ने खरी-खरी सुनाते हुए कह दिया कि इस जमीन के अलॉटमेंट के बारे में जब उन्हें जानकारी मिली तब उन्होंने इस पर कार्रवाई शुरू की। इसमें सामने आया कि इसके पट्टे भी जारी हो गए हैं। इसके बावजूद भी इस पर रोक लगाई गई है। यहां तक कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात कर इसको निरस्त करवाने की कार्रवाई भी शुरू की है। उन्होंने इसकी पूरी पत्रावलियां मंगवाई हैं। अलॉटमेंट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

विधायक ने लोगों को आश्वासन दिलाया कि इस जमीन के अलॉटमेंट को निरस्त करवा दिया जाएगा। इन लोगों का नेतृत्व कर पहुंचे कंवर सिंह चौधरी का कहना है कि पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने यह जमीन आवंटित की थी। यह काला तालाब से मानपुरा के बीच में मुख्य रोड पर आवंटित की गई है। यह पूरा एरिया हिंदू बहुल है ऐसे में यहां पर अल्पसंख्यक समुदाय को बड़ी जमीन आवंटित कर देना उचित नहीं है। इससे पहले भी देवली अरब रोड़ पर गत जमीन आवंटित कर दी गई है। यह सुनियोजित तरीके से धोखा सरकार ने किया है। कलेक्टर के नाम ज्ञापन बोरखेड़ा थाने पर दिया था।

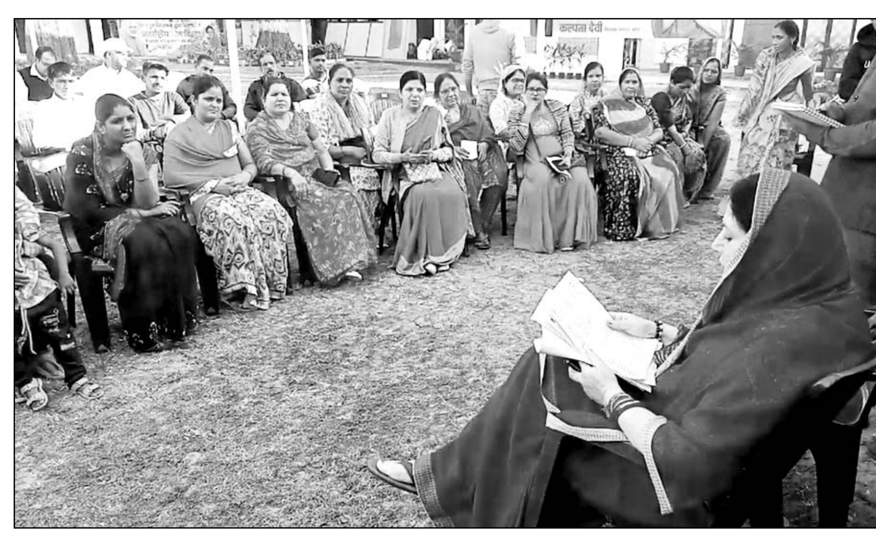

लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी ने शिकायत लेकर पहुंचे लोगों को आश्वासन दिया।

मानसगांव में विकास कार्यों का उद्घाटन किया:- लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी ने ग्राम पंचायत मानसगांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानस गांव एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, घघटाना में विधायक कोष से निर्मित 2 कक्षा-कक्ष मय बरामदा का एवं घघटाना से मालियों की टापरी तक 1 कि.मी. सड़क का उद्घाटन किया। विधायक ने बताया कि ग्राम मानसगांव एवं घघटाना के निवासियों ने विद्यालयों में कक्षा कक्ष की कमी से मुझे अवगत कराया था जिस पर मेरे द्वारा दोनों विद्यालयों में 2 कक्षा-कक्ष मय बरामदा निर्माण कराने हेतु विधायक कोष से 18 लाख रूपयें की अनुशंषा की थी जिसका लोकार्पण किया गया है।

मानसगांव के ग्रामवासियों द्वारा दो कक्षा-कक्ष मय बरामदा की और

- **विधायक ने लोगों को आश्वासन दिलाया कि इस जमीन के अलॉटमेंट को निरस्त करवा दिया जाएगा**

आवश्यकता से विधायक को अवगत कराया तो विधायक ने 2 कक्षा-कक्ष मय बरामदा निर्माण हेतु 18.00 लाख रूपये की घोषणा की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत कराया जिस पर विधायक ने शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। विधायक ने उद्घाटन के दौरान ग्रामीणों की आवश्यकता पर ग्राम मानसगांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 कक्षा-कक्ष मय बरामदा एवं ग्राम घघटाना राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक कक्ष एवं पुस्तकालय कक्ष निर्माण की घोषणा की। इस दौरान विधायक के साथ सरपंच नरेश मेघवाल, जिला परिषद सदस्य मुकेश वर्मा, पूर्व प्रधान गोपाल यादव, पूर्व सरपंच वीरम यादव, पूर्व उप सरपंच नरेश यादव, योगेश दाधीच, संजय यादव, गोविन्द यादव सहित आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

रंगपुर की पुलिया से गिरने से युवक की मौत

कोटा, (निसं)। शहर के भीमगंजमंडी इलाके की रंगपुर पुलिया से 25 फीट नीचे गिरकर वहां से गुजरी केबल में फंसा युवक। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और केबल में फंसे युवक को नीचे उतार कर उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सोमवार रात्रि को मृतक की पहचान नहीं होने पर मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल के पोस्टमार्टम रुम में रखवाया।

मृतक की पहचान लाखेरी निवासी मनोज (32) के रूप में हुई। जो पिछले कई सालों से कोटा में रहकर कबाड़ इकट्ठा करने का काम करता था। पुलिस ने बताया कि सोमवार रात्रि को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि कोई व्यक्ति रंगपुर पुलिया से नीचे गिर गया और तारों में अटका हुआ है। पुलिस ने बताया कि सूचना पर चेतक मौके पर पहुंची और तारों में उलझे युवक को नीचे उतार कर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान होने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में सामने आ रहा है कि युवक शराब के नशे में था जिससे वह पुलिया से नीचे गिर कर तारों में उलझ गया। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर मामले की जांच की जारी है।

सार-समाचार

आंदोलनकारी सैकड़ों किसानों की गिरफ्तारी घोर निंदनीय

कोटा, (निसं)। भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर शान्तिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे सैकड़ों किसानों की गिरफ्तारी एवं जबरन धरना खत्म कराए जाने की घोर निन्दा करते हुए उत्तरप्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन के द्वारा किसानों एवं महिलाओ पर बल प्रयोग को बेहद शर्मनाक बताया है। मनोज दुबे ने कहा की केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों ने किसानों को फिर सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। एमएसपी का अधिकार हो या जमीन अधिग्रहण का मुआवजा, हर मांग अनसुनी कर बैरिकेड और कीलें बिछाकर संवाद का रास्ता बंद करना भाजपा सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। मनोज दुबे ने कहा की प्रशासन में किसानों के साथ धोखा किया है। पहले किसानों से सात दिन का समय मांगा फिर धरने पर बैठे आंदोलनकारी किसानों को पुलिस ने जबरन बलपूर्वक हिरासत में ले लिया। किसानों ने अपनी जमीने दी और बदले में किसानों को जेल भेजा जा रहा है। जो किसान विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। भाजपा सरकार ने किसानों पर अत्याचार की सभी सीमाऐं पार कर दी है।

'दिल्ली कूच कर रहे किसानों की जायज मांगों का समाधान हो'

कोटा, (निसं)। भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दिल्ली कूच कर रहे किसानों की जायज मांगों का समाधान किए जाने की मांग की है। मनोज दुबे ने कहा की देश के किसान को अन्नदाता कहने से उनका कल्याण नही होगा, खेती किसानी के मसलों पर सरकार गम्भीर हो। मनोज दुबे ने कहा की किसानों की मांगें साधारण हैं। भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा, फसलों का सही दाम और बुनियादी अधिकार। एक बार फिर किसान अपने खेतों को छोड़कर दिल्ली आने को मजबूर हुए हैं। मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों की वजह से किसानों को बार-बार दिल्ली का रुख करना पड़ रहा है। किसान फिर दिल्ली आने को मजबूर हैं, क्योंकि मोदी सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। मनोज दुबे ने कहा की बैरिकेड्स, कीलें, लाठी समाधान नहीं है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और तत्काल समाधान निकालना चाहिए। भाजपा की तानाशाह सरकार लगातार किसानों का हक मार रही है। सरकार लाठी गोली के दम पर किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर उनकी पीड़ा को और बढ़ा रही है। जिससे किसानों मे भारी आक्रोश व्याप्त है।

सार-समाचार

पड़ासलिया में कलेक्टर की रात्रि चौपाल

कोटा, (निसं)। ग्राम पंचायत पड़ासलिया में मंगलवार को कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने रात्रि चौपाल के माध्यम से जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए उनके समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई की गई। चौपाल में कुल 44 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही किया गया। खंड विकास अधिकारी मुकेश स्वर्णकार ने बताया कि अधिकतर प्रकरण राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और सीएडी से संबंधित थे। इन मामलों में भूमि सीमांकन, सड़क निर्माण और जल संसाधन से जुड़ी समस्याएं प्रमुख थीं। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि इन प्रकरणों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर डॉ. गोस्वामी ने कहा कि किसी भी ग्रामीण को बार-बार एक ही समस्या के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ें। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वंचित पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करें और उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय अधिकारी समय-समय पर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और उनकी प्रगति की जानकारी दें। साथ ही, प्राप्त परिवादों पर नियमित फॉलो-अप करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक परिवादी विभागीय कार्रवाई से संतुष्ट हो। डॉ. गोस्वामी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे जनसुनवाई का अधिकतम लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष निसंकोच रखें।

वीएमओयू वेस्ट जोन महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगी

कोटा, (निसं)। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी 7 दिसंबर से 11 दिसंबर, 2024 तक प्रतिष्ठित वेस्ट जोन महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रही है। इस टूर्नामेंट में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और मध्यप्रदेश की 45 टीमें भाग लेंगी। मैच कोटा के तीन प्रमुख स्टेडियमों- महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम, विजयवीर स्टेडियम और श्रीनाथपुरम स्टेडियम में खेले जाएंगे। कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि उद्घाटन समारोह महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आयोजन सचिव डॉ.क्षमता चौधरी और टीम ने हाल ही में सभी फुटबॉल मैदानों का निरीक्षण किया एवं पाया कि सभी मैदान मैच हेतु तैयार हैं। गत वर्ष एलएनआईपीई, ग्वालियर, गोवा यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी एवं कोटा यूनिवर्सिटी शीर्ष चार टीमों में शामिल थीं। यह आयोजन महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने और वेस्ट जोन में खेल भावना को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

शिक्षक परिवार ने माता का नेत्रदान कराया

कोटा, (निसं)। महावीर नगर विस्तार योजना निवासी रुकमणी देवी का आकस्मिक निधन होने पर उनकी शिक्षक पुत्री प्रेम गुप्ता एवं दामाद हंसराज गुप्ता अपनी मां के नेत्रदान की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए पारिवारिक सदस्य मनोज बंसल के समक्ष सहमति जताई। मनोज बंसल ने मेडिकल कॉलेज के नेफ्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.विकास खंडेलिया को नेत्रदान की सूचना दी। डॉ.विकास खंडेला की सूचना पर मेडिकल कॉलेज के नेत्रदान सलाहकार भूपेंद्र सिंह हाडा एवं टेक्नीशियन हेमंत यादव ने स्वनिवास पहुंचकर रुक्मणी देवी के नेत्र संकलित किये। इनके नेत्रों के दान से दो लोगों के अंधेरे जीवन में प्रकाश मिलेगा।

शिक्षाविद् महेश गुप्ता हाड़ौती गौरव सम्मान के सम्भागीय संयोजक बने

कोटा, (निसं)। न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसायटी के तत्वावधान में 5 जनवरी 2025 को शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल श्रीनाथपुरम-डी, कोटा में आयोजित होने वाले हाड़ौती गौरव सम्मान 2025 के लिए शिव ज्योति ग्रुप के निदेशक शिक्षाविद एवं समाजसेवी महेश गुप्ता को सम्भागीय संयोजक नियुक्त किया है।

हाड़ौती गौरव सम्मान 2025 के कार्यक्रम संयोजक के.के.शर्मा (कमल) ने बताया कि कोटा संभाग की प्रतिभाओं को आगे लाने व हाड़ौती गौरव सम्मान 2025 के लिए शिव ज्योति ग्रुप के निदेशक शिक्षाविद् एवं समाजसेवी महेश गुप्ता को नियुक्त किया है, न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसायटी की अध्यक्ष अंजू शर्मा ने बताया कि जनता, जनार्दन के सहयोग से हाड़ौती गौरव सम्मान समारोह निरन्तर रखे जाने के प्रयास किये जायेंगे। शर्मा ने बताया कि 5 जनवरी को दोपहर

महेश गुप्ता

2 बजे से हाड़ौती गौरव सम्मान 2025 में कोटा सम्भाग के चारों जिलो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के स्वतन्त्रता सेनानी, शहीद परिवारों के परिजन, समाजसेवी, अधिकारी, कर्मचारी, कवि, साहित्यकार, छात्र, छात्राएं, साहित्यकार, उन्नत कृषक, चिकित्सक, शिक्षाविद्, जनसेवक, महिला उत्थान, स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण, खेल, समेंत अनेक क्षेत्रों में सर्वसमाज के ख्याति प्राप्त 101 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जायेगा। जिसके लिए 25 दिसंबर तक आवेदन आमन्त्रित किये गए है।

शिव ज्योति ग्रुप के निदेशक शिक्षाविद एवं समाजसेवी महेश गुप्ता के हाड़ौती गौरव सम्मान 2025 के सम्भागीय संयोजक बनने पर न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसायटी की अध्यक्ष अंजू शर्मा, सचिव इंजीनियर पुष्पकान्त, कोषाध्यक्ष दिनेश पोटर समेत सोसायटी सदस्यों, समाजसेवियों ने बधाई दी व सम्भाग की प्रतिभाओं को आगे लाकर सम्मानित करने का आग्रह किया।

शिव ज्योति ग्रुप के निदेशक शिक्षा वित्त एवं समाजसेवी महेश गुप्ता के हाड़ौती गौरव सम्मान 2025 के संभागीय संयोजक बनने पर हाड़ौती संभाग में खुशी की लहर दौड़ गई तथा उनके नेतृत्व में संभाग की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

प्रतिभा सम्मान समारोह 12 को

कोटा, (निसं)। समग्र दिगम्बरजैन बघेरवाल सामाजिक संस्था, कोटा प्रांत की कार्यकारिणी व संयोजकों की बैठक केंद्रीय महामंत्री नरेश सुरलाया की अध्यक्षता में प.आशाधर भवन विनोबा भावे नगर आयोजित की गई। सभी सदस्यों की उपस्थिति में आगामी 12 जनवरी 25 रविवार को संपूर्ण बघेरवाल समाज का स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसमें समाज की शिक्षित व उच्च शिक्षित प्रतिभाओं का सम्मान किया जाना निश्चित हुआ हेअध्यक्ष सुरेश हरसौरा ने बताया कि समाज के एकीकरण, स्नेह, सौहार्द व आपसी मेलजोल हेतु स्नेहमिलन व प्रतिभा सम्मान आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया एवं अनिल ठोरा, चेतन सरवाडिया को मुख्य संयोजक बनाया गया।

गुंजल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा

कोटा, (निसं)। पूर्व विधायक एवं काँग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती के लिये अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने में भारी अनियमिततायें की बात कही है। गुंजल ने लिखा कि अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने में भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार कारित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य सरकार में पदस्थ नेताओं के इशारे पर संवेदक एकमुश्त पीएफ राशि जमा करवाकर मन चाहे लोगों एवं अपने खास कार्यकर्ताओं को प्रमाण-पत्र दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर नगरीय विकास विभाग का प्रशासन सत्ताधारियों के आगे बेबस नजर आ रहा है। गुंजल ने कहा कि कई संवेदक तो ऐसे हैं जिनके पास सफाई कर्मचारी लगाने के कार्यादेश तक नहीं है। सिविल कार्य करने वाले संवेदक भी सफाई कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण-पत्र जारी कर रहे हैं। उन्होने कहा कि संवेदकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सत्ताधारियों को उपकृत करने के चलते हो रही इन अनियमितताओं से वास्तविक बेरोजगारों एवं उनके परिवारजनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है। जाँच पारदर्शिता पूर्वक पूर्ण न होने तक अस्थायी रुप से भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया जाये।

गुंजल ने मुख्यमंत्री से माँग की है कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में आवेदकों द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्रों में प्रतिमाह ईपीएफ राशि जमा होने व सफाई कार्य से संबंधित संवेदक द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र संबंधित सभी तथ्यों की गंभीरतापूर्वक जाँच करके ही आवेदकों के आवेदनों को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावें।

लोकसभा अध्यक्ष के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा

कोटा, (निसं)। टीम पंकज मेहता द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिन के उपलक्ष में इस दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। टीम पंकज मेहता के संयोजक ललित चित्तौड़ा ने बताया कि करनी नगर विकास समिति में सायं 4 बजे नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन राजेश बिरला एवं पंकज मेहता के नेतृत्व में बच्चों के बीच समारोहपूर्वक ओम बिरला का जन्मदिन मनाया जाएगा। बच्चों को फल वितरण किया जाएगा व उन्हें मिठाईयां बांटी जाएगी। ललित चित्तौड़ा ने बताया कि ओम बिरला के दीघार्यु की कामना करेंगे साथ ही गायों को हरा चारा खिलाया जाएगा, निर्धनों की मदद की जाएगी और हर संभव सेवा का संकल्प भी लिया जाएगा। चित्तौड़ा ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कारण कोटा गौरवांवित हुआ है। ओम बिरला शुरू से ही लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं, नंगे पैरों को चप्पल पहनना, कंबल निधि, भूखे को भोजन कराना व हर संभव मदद वह लोगों की करते आ रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा व सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र मैं उनके द्वारा की गई सेवा को पूरा देश जानता है। उनका जन्मदिन कोटा सहित देश भर में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

दादा नारायण दास मदनानी की स्मृति में सेवा सप्ताह में हुआ फुटबॉल मैच

कोटा, (निसं)। दादा नारायण दास मदनानी सेवा संस्थान द्वारा उनकी 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में नारायण सेवा सप्ताह के अन्तर्गत विजय वीर क्लब कुंहाडी के खेल प्रांगण में बालिका फुटबॉल अकैडमी कोटा की टीम-ए और बालिका फुटबॉल अकादमी की टीम कोटा बी के बीच मैच हुआ।

दोनों टीमों के बीच में मैच टाई हो गया, फिर पेनल्टी शूटआउट से मैच का निर्णय हुआ जिसमें बालिका फुटबॉल एकेडमी कोटा-ए ने 5 गोल किए और बालिका एकेडमी कोटा टीम बी 3 गोल किऐं। इस तरह बालिका फुटबॉल अकैडमी कोटा टीम-ए ने दो गोल से विजेता रही। विजेता और उप विजेता टीम को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फुटबॉल के जाने-माने पूर्व खिलाड़ी बृजेंद्र सिंह झाला, संस्थान के अध्यक्ष किशोर मदनानी, कार्यक्रम के अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व निदेशक किशन रतनानी, आयोजक मंडल के सदस्य फिरोज खान, अतीक, हिमांशु, फुटबॉल कोच मधु चौहान और मीनू सोलंकी ने शील्ड प्रदान की।

- **बालिका फुटबॉल एकेडमी कोटा ए ने मैच जीता**

दादा नारायण दास मदनानी की स्मृति में सेवा सप्ताह में बालिका फुटबॉल एकेडमी कोटा ए ने मैच जीता।

बृजेंद्र सिंह झाला ने प्रारंभ में दोनों टीमों का परिचय प्राप्त किया तथा उन्हें मिल रहे प्रशिक्षण और सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि कोटा में खेलों के लिए बहुत सकारात्मक माहौल है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि बृजेंद्र सिंह झाला व कार्यक्रम के अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व निदेशक किशन रतनानी का स्वागत आयोजक मंडल की ओर से किया गया। संस्थान के अध्यक्ष किशोर मदनानी ने बताया कि बालिका फुटबॉल एकेडमी टीम कोटा-ए की कप्तान दुर्गा कंवर और बालिका फुटबॉल अकादमी की टीम कोटा-बी की कप्तान पायल और रेफरी नंदिनी कंवर ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के मकसद से आज का यह फुटबॉल मैच आयोजित किया गया।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2024/114 दिनांक:- 2.12.2024

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड संख्या 981-बी श्रीनाथपुरम आवासीय योजना में हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 102 दिनांक 30.03.2013 को श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री विष्णु कुमार के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री विष्णु कुमार द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती निधि गौड़ पत्नी श्री नीरज गौड़ द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.2020 को श्रीमती रेखा पत्नी श्री बद्री विशाल को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्रीमती रेखा पत्नी श्री बद्री विशाल द्वारा उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से हस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 981-बी श्रीनाथपुरम आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती रेखा पत्नी श्री बद्री विशाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2024/122 दिनांक:- 02.12.2024

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना सुभाष नगर भूखंड संख्या 1119 का आवंटन क्रमांक 243 दिनांक 20.04.1991 को श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री प्रफुल्ल चन्द के नाम आवंटन किया गया था। जिसके उपरांत क्रेता श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री प्रफुल्ल चन्द की मृत्यु दिनांक 16.12.2020 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री प्रफुल्ल चन्द के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रिलीज डीड (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि के आधार पर श्री राकेश खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री प्रफुल्ल चन्द एवं श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री प्रफुल्ल चन्द द्वारा उक्त भूखंड संख्या 1119 सुभाष नगर अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 1119 सुभाष नगर का नामहस्तान्तरण श्री राकेश खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री प्रफुल्ल चन्द एवं श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री प्रफुल्ल चन्द के नाम स्वीकृति जारी कर दी जायेगी। उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

नाम परिवर्तन

MY NAME HAS BEEN CHANGED FROM MANSOOR TO MANSOOR MAKASSAR WALA SO I WOULD BE RECOGNISED BY MY NEW NAME MANSOOR MAKASSAR WALA WITH IMMEDIATE EFFECT FROM :- MANSOOR MAKASSAR WALA S/O AZIZ, OLD SABZI MANDI JHALRAPATAN DIST JHALAWAR RAJASTHAN,326023

खोया-पाया

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे फ्लेट नं. बी-104 महालक्ष्मी प्लाजा डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जवाहर नगर, कोटा रजिस्ट्री के मूल दस्तावेज श्री विजेन्द्र शर्मा पुत्र डॉ. सत्यनारायण शर्मा एवं स्वाति खण्डेलवाल पत्नि श्री अंशुल नाटानी के नाम से तलवण्डी चौराहा की तरफ गिर गए है। जिस किसी को मिले वो नीचे लिखे नम्बर पर सूचित करें।

मिथलेश तिवारी, पत्नी श्री अशोक तिवारी
सम्पर्क : 8107368518

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/4449 सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक:-3.12.24

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदनकर्ता श्रीमती संगीता अग्निहोत्री पत्नी श्री रोहित अग्निहोत्री निवासी रावतभाटा द्वारा इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा के श्रीगणेश नगर आवासीय योजना रावतभाटा के आवासीय भूखंड संख्या 645 श्रेणी (अ) साईज 25x50 क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट अर्थात 116.17 वर्गमीटर के स्वामित्व संबंधी व अन्य वांछित दस्तावेजों की प्रतियों को ऑनलाईन अपलोड करवाकर इस भूखंड पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति व नक्शानुमोदन हेतु आवेदन मय प्रस्तावित भवन निर्माण के नक्शों की प्रतियों सहित प्रभावी मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के तहत निर्माण स्वीकृति एवं नक्शानुमोदन बाबत प्रस्तुत किया है।

अत: उपरोक्त प्राप्त आवेदन से संबंधित प्रस्तावित कार्यवाही को पालिका द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति/फर्म/विभाग/संस्था को उक्त कार्यवाही पर कोई उजर या आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में मय साक्ष्य/सबूत के प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात कोई भी उजरदारी या आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

क्रमांक:-ननि (दक्षिण) को/राजस्व/2024/7200-7201 दिनांक:-3.12.24

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्री अभिषेक तिवारी एवं सिद्धार्थ तिवारी पुत्र स्व. श्री अनिल तिवारी निवासी म.नं. 75 बल्लभ बाड़ी गुमानपुरा कोटा नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार "द विंग्स ए यूनिट ऑफ भवानी कन्स्ट्रक्शन" 104 सेक्टर ए, श्रीनाथपुरम कोटा में संचालन करने की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक "ए" के प्रथम तल के कमरा नं. 238 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा उपविधि 2016 के अनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। सूचित हो।

राजस्व अधिकारी नगर निगम कोटा (दक्षिण)

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश महोदय, बारां
राजेन्द्र वगैरह बनाम
श्रीमती चन्द्रकान्ता वगैरह
दावा वास्ते घोषणा एवं चाहने स्थायी निषेधाज्ञा
प्रकरण संख्या 39/2020

बनाम :- 01. सविता शर्मा पुत्री स्व. श्री मोहनलाल पत्नी श्री जगमोहन जाति ब्राह्मण निवासी विरासत पैराडाईज 29 रघु विहार महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर जिला जयपुर (राज.), 02. श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नी स्व. श्री दीनानाथ शर्मा पुत्री स्व. श्री दामोदर लाल शर्मा निवासी मां भारती स्कूल के पास तलवण्डी कोटा जिला कोटा (राज.), 03. श्रीमती सत्यवती शर्मा पत्नी श्री अनिल शर्मा पुत्री स्व. श्री दामोदर लाल शर्मा निवासी जवाहर नगर कोटा जिला कोटा (राज.)

वादीगण ने आपके विरूद्ध उपरोक्त आशय का वाद संस्थित किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 09 माह दिसम्बर सन् 2024 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 20 माह 11 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश,
बारां जिला बारां (राज.)

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4334 जाहिर आम सूचना दिनांक - 2.12.24

आवास संख्या 1-च-17 केशवपुरा कोटा का आवंटन मंडल द्वारा शकुन्तला सिकरवार पुत्री श्री राम सिंह को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण बीना सिकरवार पुत्री श्री राम सिंह के नाम दिनांक 10.06.2002 को किया गया। इस आवास का पंजीयन बीना सिकरवार पुत्री श्री राम सिंह के नाम दिनांक 19.08.2002 को अपने पक्ष में करवाया गया। बीना सिकरवार की मृत्यु दिनांक 26.02.2016 को हो जाने के उपरांत उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन वसीयत नामा के आधार पर दिनांक 25.06.2021 को श्री अभिजित सिंह सिकरवार पुत्र श्री विजय सिंह के नाम किया गया। तत्पश्चात श्री अभिजित सिंह सिकरवार पुत्र श्री विजय सिंह द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 05.08.2023 को श्रीमती मीना राठौर पत्नी श्री टीकम चन्द राठौर को किया गया। श्रीमती मीना राठौर पत्नी श्री टीकम चन्द राठौर द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-च-17 केशवपुरा कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: इस आवास के मंडल अभिलेख में श्रीमती मीना राठौर पत्नी श्री टीकम चन्द राठौर का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि इस आवास के मंडल अभिलेख में श्रीमती मीना राठौर पत्नी श्री टीकम चन्द राठौर का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में श्रीमती मीना राठौर पत्नी श्री टीकम चन्द राठौर का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/4446 आपत्ति आमंत्रण सूचना दिनांक:-3.12.24

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कृष्णकान्त परमार पिता श्री ओम प्रकाश परमार निवासी रावतभाटा ने इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन मय शपथ पत्र एवं वांछित दस्तावेजों की स्व: प्रमाणित छायाप्रतियों को ऑनलाईन अपलोड कर नगर पालिका रावतभाटा की श्रीगणेश नगर आवासीय योजना के भूखंड संख्या 656 श्रेणी (अ) साईज 25x50 क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट अर्थात 116.17 वर्गमीटर का नामान्तरण/हस्तान्तरण अपने नाम पालिका रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।

प्रस्तुत/ऑनलाईन अपलोड दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह भूखंड पालिका द्वारा लाटरी दिनांक 31.12.2007 अन्तर्गत श्री भागचन्द पिता श्री ऊंकारलाल निवासी रावतभाटा हाल मुकाम खेरोदा तहसील वल्लभ नगर जिला उदयपुर को आवंटित किया गया था। जिसकी सम्पूर्ण राशि एवं एकमुश्त 10 वर्ष की लीज राशि जमा होने के उपरांत आवंटी के पक्ष में लीज डीड क्रमांक 678 दिनांक 17.04.2008 व पंजीयन दिनांक 20.06.2008 को करवाया गया तथा इसके उपरांत आवंटी ने पालिका से विक्रय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उक्त भूखंड को श्रीमती गणेशी बाई पत्नी श्री भंवरलाल निवासी रावतभाटा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2018 से विक्रय किया गया है तथा इसके उपरान्त इस नामान्तरिती ने उक्त भूखंड को विक्रय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दिनांक 18.03.2024 को इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी प्रस्तावित कार्यवाही अन्तर्गत पालिका द्वारा मांग पत्र क्रमांक 341 दिनांक 22.04.2024 जारी किया गया, परन्तु इस नामान्तरिती ने उक्त मांग राशि को पालिका कोष में जमा नहीं करवाया गया और सीधे ही उक्त भूखंड को बिना विक्रय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 29.04.2024 से आवेदक श्री कृष्णकान्त परमार पिता श्री ओमप्रकाश परमार निवासी रावतभाटा को हस्तान्तरित किया गया है। जिसके आधार पर आवेदक के नाम भूखंड का नामान्तरण/हस्तान्तरण नियमानुसार दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

अत: उक्त भूखंड का नामान्तरण पालिका रिकार्ड में आवेदक के नाम दर्ज करने पर किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति/उजर हो तो इस सूचना से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति/उजरदारी प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा